



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 810]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 2018/कार्तिक 23, 1940

No. 810]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2018/KARTIKA 23, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1109(अ).**—विस्फोटक अधिनियम, 1884 ( 1884 का 4) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, गैस सिलेन्डर्स नियम, 2016 में संशोधन करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित नियमों के प्रारूप को उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने के तीस दिन के पश्चात उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के संबंध में, किन्हीं आपत्तियों या सुझावों को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, अपर सचिव (विस्फोटक), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा नं. 259, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110 107 को भेजा जा सकता है या (ईमेल: [singh.shailen@nic.in](mailto:singh.shailen@nic.in)) पर ई-मेल किया जा सकता है।

कथित प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

## प्रारूप नियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को गैस सिलेन्डर्स (तृतीय संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।  
(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- गैस सिलेन्डर्स नियम, 2016 में नियम 48 में उप-नियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा,—

(2) (क) सी.एन.जी. वितरण स्टेशन के लिए फार्म 'जी' में लाइसेंस के लिए कोई आवेदक, इन नियमों के अधीन लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परिसर के अवस्थान को दर्शाने वाले साइट प्लान की दो प्रतियों सहित जिला प्राधिकारी को आवेदन करेगा। जिला प्राधिकारी संतुष्ट होने पर प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने वाले आवेदक को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और उसके आवेदन के साथ उसे मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को अग्रेषित करेगा।

(ख) पेट्रोलियम नियम, 2002 के अंतर्गत फॉर्म XIV में पहले ही लाइसेंसशुदा, सर्विस स्टेशन के भाग के रूप में सीएनजी वितरण स्टेशन के लिए जिला प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" की आवश्यकता नहीं होगी।"

[फा. सं. 3(2)/2018-विस्फोटक]

शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव

**टिप्पणः** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1081(अ), दिनांक 22 नवम्बर, 2016 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. 189(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018 और सा.का.नि. 231(अ) दिनांक 15 मार्च, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Industrial Policy and Promotion)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2018

**G.S.R. 1109(E).**—The draft of the following rules further to amend the Gas Cylinders Rules, 2016 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Additional Secretary (Explosives), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 259, Udyog Bhawan New Delhi – 110 107 or sent by email ([singh.shailen@nic.in](mailto:singh.shailen@nic.in)) within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

#### Draft rules

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Gas Cylinders (Third Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

**2. In the Gas Cylinders Rules, 2016, in rule 48, for sub-rule-2, the following sub-rule shall be substituted, namely:-**

“(2)(a) An applicant for licence in Form “G”, for CNG dispensing station, shall apply to the District Authority with two copies of site plan showing the location of the premises proposed to be licensed under these rules. The District Authority, if satisfied, shall grant no objection certificate to the applicant receiving a licence for the above purpose at the site proposed, and shall forward it to the Chief Controller or Controller with his application.

(b) The requirement of “No Objection Certificate” from District Authority shall not be applicable for CNG dispensing station forming part of service station already licensed in Form XIV under Petroleum Rules, 2002. ”.

[F. No. 3(2)/2018-Expl.]

SHAIENDRA SINGH, Addl. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. G.S.R. 1081(E), dated the 22<sup>nd</sup> November, 2016 and subsequently amended *vide* G.S.R. No. 189(E), dated the 27<sup>th</sup> February, 2018 and G.S.R. No. 231(E), dated the 15<sup>th</sup> March, 2018.